

मुंनू-64/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक- 06.10.2020

मुंनू 64/2020

पीठासीन अधिकारी- पूजा मीना आर.एस

उनवान

1. रामकिशन पुत्र चन्दर
 2. कंचनी बेवा राममरोसी
 3. हेमा पुत्री राममरोसी
 4. गंगासहाय पुत्र पितराम
 5. रामस्वरूप पुत्र नथौली
 6. शिम्भू पुत्र जगन्या
- जाति मीना निवासी खेडी तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थी गण)

बनाम

1. कमलेश पुत्री किन्दूरी
 2. मजनबाई पुत्री किन्दूरी
 3. महेन्द्र पुत्र किन्दूरी
 4. घनश्याम पुत्र रामसहाय
 5. गीता पुत्री रामसहाय
 6. रवीना पुत्री रामसहाय
 7. उगन्ती पत्नि स्व० रुघनाथ
 8. कुन्जीलाल पुत्र स्व० रुघनाथ
 9. गीता पुत्री स्व० रुघनाथ
 10. घन्टोल्या पुत्र जिन्सी
 11. बाबू पुत्र शुक्ला
 12. रामधन पुत्र मुथरा
 13. रामचरण पुत्र मुथरा
 14. घन्ना पुत्र मुथरा
 15. राकौर पुत्री मुथरा
 16. लोहडी पुत्री मुथरा
 17. मनोज पुत्र रुघनाथ
 18. रेखा पुत्री रुघनाथ
 19. हंसराज पुत्र रुघनाथ
 20. हंसराम पुत्र रुघनाथ
 21. घन्टोल्या पुत्र जौहरी
- समस्त जाति मीना निवासी खेडी तहसील टोडाभीम।
22. तहसीलदार टोडाभीम।
 23. उपपंजीयक टोडाभीम।

(अप्रार्थीगण)



प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थिति:- श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट प्रार्थीगण
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण
निर्णय

दिनांक 16.10.2024

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडी के गत खसरा न० 760 रकवा 10 बिस्वा के हाल ख०न० 2151/0.01,



(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

2152/0.08, 2153/0.03 कायम किये है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे खातेदारी गैरसायल न0 1 ता 3 रामसहाय पुत्र गुलाब के नाम दर्ज है, इस गत ख0न0 760 की आराजी को गत ट्रेस मे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। हाल ख0न0 2151 रकवा 0.01 हे0 किस्म गै0मु0चाह इनके नाम गलत दर्ज हुआ है, भूमि हाल ख0न0 2142 रकवा 0.11 हे0 की हाल जमाबन्दी मे सायल न0 1 ता 3 के नाम दर्ज है, इस भूमि का गत खसरा नम्बर 757 रकवा 11 बिस्वा है, ख0न0 2151, 2142 की दोनो की मेड के मध्य हाल ख0न0 2151 रकवा 0.01 सायल न0 1 ता 3 रामकिशन, हेमा, कंचनी हिस्सा 1/5, बाबू पुत्र शुक्ला, कुन्जीलाल, हंसराम, हंसराज पि0 रुधनाथ गै0सा0 हिस्सा 1/5, शिम्भू पुत्र जगन्धा हिस्सा 1/5, घनश्याम पुत्र रामसहाय, गीता, रवीना पुत्री रामसहाय हिस्सा 1/5, नरसी, यादराम, केशव, राजेन्द्र पुत्र भजन हिस्सा 1/5 के खतोदार व काबिज है। गत ट्रेस के अनुसार हाल ट्रेस तैयार नही किया है। मौके पर नापने पर आराजी कम होती है।

हाल ख0न0 2145 रकवा 0.05 हे0 किस्म गै0मु0 रास्ता की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज है, यह भूमि सायलान की मालिकाना व कब्जे की आराजी है। इस भूमि पर सायलान गंगासहाय, रामस्वरूप के रिहायसी मकानो को व बाडा को आने जाने के रास्ते के उपयोग की भूमि है तथा इसी भूमि मे होकर अपने रिहायसी मकान भूमि व बाडे पर आते जाते है। दौराने भू-प्रबन्ध से पूर्व आज तक आते जाते रहे है हाल ख0न0 2151 गै0मु0 कुआ की भूमि आने-जाने के काम आ रही है। भू0 प्रबन्ध विभाग ने गत ट्रेस व खातेदारी के अनुसार हाल ट्रेस व खातेदारी का इन्द्राज नही किया है। हाल ट्रेस व खातेदारी गलत है, अप्रार्थीगण की भूमि मे उनकी दीवार हो रही है। तथा अप्रार्थीगण करीब 5 मीटर आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है।, मौके पर नापने पर 5 मीटर आराजी कम बैठती है, तथा मिट्टी डालकर कब्जा करना चाहते है।

यह है कि गत ख0न0 758 रकवा 8 बिस्वा के हाल ख0न0 2141 रकवा 0.10 हे0 कायम किया है। इस भूमि की खातेदारी सायल शिम्भू पुत्र जगन्धा के नाम दर्ज है तथा शिम्भू की खातेदारी व कब्जे की भूमि है, अन्य किसी भी व्यक्ति या गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। सायल शिम्भू की इस भूमि की भूप्रबन्ध से पूर्व व आज भी अलग डोल मेड महदूद है तथा हाल व गत ट्रेस मे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। सायल शिम्भू की यह आराजी गैरसायल बाबू कुन्जी, गीता, रेखा, मनोज, हंसराज, हंसराम की खातेदारी भूमि ख0न0 759 के सामने है, इन गैरसायलान की नियत मे बेईमानी है और वो प्रार्थी की उक्त आराजी ख0न0 2141 रकवा 0.10 हे0 के कुछ भाग पर कब्जा करना चाहते है।

यह है कि गत ख0न0 764 रकवा 1 बीघा 17 बिस्वा के हाल ख0न0 2145/0.05, 2146/0.16, 2147/0.06, 2148/0.06, 2149/0.02, 2150/0.11 हे0 कायम किये है। यह आराजी गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि खातेदार गोपाली पत्नि किन्दूरी, रामसहाय पुत्र गुलाब, मथुरा पुत्र रामनारायण की मृत्यु हो चुकी है, उनके कायम मुकाम वारिस गैरसायलान पक्षकार बनाये है।

विवादित आराजीखत गैरसायलान के नाम गलत खातेदारी दर्ज होने के कारण उनकी नियत मे बेईमनी है, तथा कुआ व आम रास्ते की भूमि को जबरदस्ती कब्जा कर मौका सूरत बदलना चाहते है, प्रार्थीगण अशिक्षित ग्रामीण आदमी है, इस गलत खातेदारी व ट्रेस की जानकारी सायलान को नही हो पाई थी, गैरसायलान दिनांक 4.9.2020 को विवादित रास्ता व कुआ की जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा करने आये तक प्रार्थीगण ने इनसे कहा कि तुम ऐसा अन्याय म करो, तहसील मे चलकर रिकार्ड की दुरुस्ती करा लेते है, तथा शिम्भू ने अप्रार्थीगण बाबू कुन्जी, गीता, रेखा, मनोज, हंसराज, हंसराम से कहा कि तुम हमारी भूमि ख0न0 2141 रकवा 0.10 हे0 के कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा मत करो, इस पर वे इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल को कोई

(पूजा गीता)

अपक्ष अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापूर जिला

ति किसी प्रकार की नहीं है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान बखिलाफ गैरसायलान बावत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम खेडी की आराजी ख0न0 2151 रकवा 0.05 है0 किस्म गै0मु0चाह तथा ख0न0 2145 रकवा 0.05 है0 किस्म गै0मु0रास्ता पर जबरन कब्जा नहीं करे, नाही मौके की सूरत तब्दील करे। रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। हाल ख0न0 2141 रकवा 0.10 है0 मे सायल शिम्मू के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नहीं करे।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान न0 6, 10, 12 ता 16, 21, 22, 23 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। शेष गैरसायलान की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने जबाब पेश किया कि मद न0 2 मे वर्णित साबिक ख0न0 760 रकवा 0.10 है0 होना स्वीकार है साबिक आराजी ख0न0 760 रकवा 0.10 है0 से बने नवीन ख0न0 2151/0.01, 2152/0.08, 2153/0.03 है0 कायम किये है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे गैरसायल न0 1 ता 3 रामसहाय पुत्र गुलाब के नाम होना स्वीकार है सायलान ने यह कथन गलत अंकित किये है कि ख0न0 2151 रकवा 0.01 है0 किस्म गै0मु0चाह की खातेदारी सायलान के नाम किसी भी प्रकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रिकार्ड साबिक रिकार्ड के अनुसार सही बनाया है। मौके पर भूमि कम होती है। तो सीमाज्ञान करवाया जा सकता है इसलिये दावा महज गैरसायलान को परेशान करने की गरज से पेश किया है।

यह है कि मद न0 2 मे वर्णित आराजी ख0न0 2145 रकवा 0.05 है0 जो गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है। मद न0 4 मे साबिक ख0न0 758 रकवा 8 बिस्वा से नवीन ख0न0 2141 रकवा 0.10 है0 बनना स्वीकार है। मद न0 5 मे साबिक ख0न0 764 रकवा 1 बीघा 17 बिस्वा से बने नवीन ख0न0 2146, 2147, 2148, 2149, 2150 गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है।

प्राईमाफैसी कसे सायलान के पक्ष मे साबित नहीं है सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे नहीं है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को कोई क्षति नहीं है, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी।

जबाब के विशेष विवरण मे कथन किया है कि साबिक ख0न0 760 रकवा 10 बिस्वा मे होना स्वीकार है। साबिक आराजी से बने नवीन ख0न0 2151/0.01, 2152/0.08, 2153/0.03 है0 गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे की आराजी है। साबिक ख0न0 764 रकवा 1 बीघा 17 बिस्वा से बने नवीन ख0न0 2146, 2147, 2148, 2149, 2150 गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। सायलान का विवादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा कब्जे के अभाव मे दावा चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात गत खसरा न0 760 रकवा 10 बिस्वा के हाल ख0न0 2151/0.01, 2152/0.08, 2153/0.03 कायम किये है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे खातेदारी गैरसायल न0 1 ता 3 रामसहाय पुत्र गुलाब के नाम दर्ज है, हाल ख0न0 2151 रकवा 0.01 है0 किस्म गै0मु0चाह इनके नाम गलत दर्ज हुआ है, भूमि हाल ख0न0 2142 रकवा 0.11 है0 की हाल जमाबन्दी मे सायल न0 1 ता 3 के नाम दर्ज है, इस भूमि का गत खसरा नम्बर 757 रकवा 11 बिस्वा है, ख0न0 2151, 2142 की दोनो की मेड के मध्य हाल ख0न0 2151 रकवा 0.01 सायल न0 1 ता 3 रामकिशन, हेमा, कंचनी हिस्सा 1/5, बाबू पुत्र शुक्ला,


(पूजा मीता)

उपर्युक्त अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
टोडाभीम, जिला-गंगापूर जिला

कुन्जीलाल, हंसराम, हंसराज पिठ रूधनाथ गौसाठ हिस्सा 1/5, शिम्भू पुत्र जगन्ना हिस्सा 1/5, धनश्याम पुत्र रामसहाय, गीता, रवीना पुत्री रामसहाय हिस्सा 1/5, नरसी, यादराम, केचव, राजेन्द्र पुत्र भजन हिस्सा 1/5 के खतोदार व काबिज है। गत ट्रेस के अनुसार हाल ट्रेस तैयार नहीं किया है। मौके पर नापने पर आराजी कम होती है।

हाल ख०न० 2145 रकवा 0.05 है० किस्म गौमु० रास्ता की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज है, यह भूमि सायलान की मालिकाना व कब्जे की आराजी है। इस भूमि पर सायलान गंगासहाय, रामस्वरूप के रिहायसी मकानों को व बादा को आने जाने के रास्ते के उपयोग की भूमि है तथा इसी भूमि में होकर अपने रिहायसी मकान भूमि व बाड़े पर आते जाते हैं। दौरेने भू-प्रबन्ध से पूर्व आज तक आते जाते रहे हैं हाल ख०न० 2151 गौमु० कुआ की भूमि आने-जाने के काम आ रही है। भू० प्रबन्ध विभाग ने गत ट्रेस व खातेदारी के अनुसार हाल ट्रेस व खातेदारी का इन्द्राज नहीं किया है। हाल ट्रेस व खातेदारी गलत है, अप्रार्थीगण की भूमि में उनकी दीवार हो रही है। तथा अप्रार्थीगण करीब 5 मीटर आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। मौके पर नापने पर 5 मीटर आराजी कम बैठती है, तथा मिट्टी डालकर कब्जा करना चाहते हैं। गत ख०न० 758 रकवा 8 बिस्वा के हाल ख०न० 2141 रकवा 0.10 है० कायम किया है। इस भूमि की खातेदारी सायल शिम्भू पुत्र जगन्ना के नाम दर्ज है तथा शिम्भू की खातेदारी व कब्जे की भूमि है, अन्य किसी भी व्यक्ति या गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायल शिम्भू की इस भूमि की भूप्रबन्ध से पूर्व व आज भी अलग डोल मेड महदूद है तथा हाल व गत ट्रेस में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। सायल शिम्भू की यह आराजी गैरसायल बाबू, कुन्जी, गीता, रेखा, मनोज, हंसराज, हंसराम की खातेदारी भूमि ख०न० 759 के सामने है, इन गैरसायलान की नियत में बेईमानी है और वो प्रार्थी की उक्त आराजी ख०न० 2141 रकवा 0.10 है० के कुछ भाग पर कब्जा करना चाहते हैं। गत ख०न० 764 रकवा 1 बीघा 17 बिस्वा के हाल ख०न० 2145/0.05, 2146/0.16, 2147/0.06, 2148/0.06, 2149/0.02, 2150/0.11 है० कायम किये है। यह आराजी गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त भी सायलान के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायलय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.09.2021 को ता दावा फ़ैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित साबिक ख०न० 760 रकवा 0.10 है० होना स्वीकार है साबिक आराजी ख०न० 760 रकवा 0.10 है० से बने नवीन ख०न० 2151/0.01, 2152/0.08, 2153/0.03 है० कायम किये है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान न० 1 ता 3 रामसहाय पुत्र गुलाब के नाम होना स्वीकार है सायलान ने यह कथन गलत अंकित किये है कि ख०न० 2151 रकवा 0.01 है० किस्म गौमु०चाह की खातेदारी सायलान के नाम किसी भी प्रकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रिकार्ड साबिक रिकार्ड के अनुसार सही बनाया है। मौके पर भूमि कम होती है। तो सीमाज्ञान करवाया जा सकता है, मद न० 2 में वर्णित आराजी ख०न० 2145 रकवा 0.05 है० जो गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे कास्त की आराजी है जिससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है। मद न० 4 में साबिक ख०न० 758 रकवा 8 बिस्वा से नवीन ख०न० 2141 रकवा 0.10 है० बनना स्वीकार है। मद न० 5 में साबिक ख०न० 764 रकवा 1 बीघा 17 बिस्वा से बने नवीन ख०न० 2146, 2147, 2148, 2149, 2150 गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे कास्त की आराजी है। प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष में साबित नहीं है सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में नहीं है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को कोई क्षति नहीं है, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। साबिक ख०न० 760 रकवा 10 बिस्वा से बने नवीन ख०न० 2151/0.01, 2152/0.08, 2153/0.03 है० गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे की आराजी है। साबिक ख०न० 764 रकवा 1 बीघा 17 बिस्वा से बने नवीन ख०न० 2146, 2147,



(Signature)
(स्वीकार)

अनुसूचित जाति आरक्षण
ट्रेसिंग, जिला-जयपुर सिटी

48, 2149, 2150 गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। सायलान का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं। खारिज होने योग्य है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.09.021 को खारिज करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओं को तय किया जाना होता है।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण:- प्रार्थना पत्र में सायलान द्वारा आराजी ख0न0 2151/0.05, 2145/0.05, 2141/0.10 के संबध में अनुतोष चाहा गया है। उक्त वर्णित आराजीयात पत्रावली में शामिल ग्राम खेडी की जमाबन्दी अनुसार आराजी ख0न0 2151 रकवा 0.01 है0 गैरसायलान न0 1 ता 3 तथा इनकी माँ के नाम दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से में अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 2145 रकवा 0.05 है0 में गैरसायलान मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 2141 रकवा 0.10 है0 सायलान न0 5 शिम्भू पुत्र जगन्या हिस्सा पूर्ण के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043-62 अनुसार नवीन ख0न0 2151 साबिक ख0न0 760 रकवा 10 बिस्वा से बना है। नवीन ख0न0 2145 साबिक ख0न0 764 से बना है, नवीन ख0न0 2141 साबिक ख0न0 758 से बने है। सायलान द्वारा नवीन ख0न0 2151/0.05, 2145/0.05, 2141/0.10 है0 में अनुतोष चाहा है। सायलान द्वारा घोषणा खातेदारी का पेश किया है। दावे में ही साबिक रिकार्ड व कब्जे का निर्णय किया जाना है। इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण आंशिक रूप से सायलान के पक्ष में साबित नहीं है।
2. सुविधा का संतुलन:- पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष में साबित नहीं होने तथा ठोस साक्ष्य/आधार सायलान द्वारा पत्रावली में पेश नहीं करने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित नहीं है।
3. अपूर्तनीय क्षति:- प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति नहीं होकर गैरसायलान को क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, तथा अपूर्तनीय क्षति सायलान के पक्ष में साबित नहीं होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



Pi
(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं (पूजा मीना) के कलक्टर
टोडुभीम, जिला-गंगानुर सिटी
टोडुभीम, जिला-गंगानुर सिटी